

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

देवेन्द्र कुमार वगैरा बनाम चैनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-130/2025

तारीख हुकम	हुकम कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.08.2025	<p>वादीगण के अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।</p>	
13/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं वादीगण उप. वादीगण वकील ने अर्चना पत्र वाले पत्रावली पेची पर लेने बाबत पेश उर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेची नारीरव पर जावे। वकील वादीगण के अर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेची नारीरव पर ही गई। वादीगण वकील ने अर्चना पत्र वाले वाद विज्ञे करने बाबत पेश उर निवेदन किया कि उक्त अमवान के अडरण में हमारे गांव के मौजिज लोगो ने आपसी समझौते उरके राजीनामा करवा दिया है इसलिए हम उक्त अडरण को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए उक्त वाद को जरिये राजीनामा विज्ञे फरमाया जावे।</p> <p>अतः वादीगण वकील द्वारा अर्चना पत्र को आवश्यक में रद्दीकार किया जाउर उक्त अमवान के वाद को जरिये राजीनामा विज्ञे किया जाता है। पत्रावली फ्रंसल सुमार लोउर दखिल करार हो।</p>	<p>प्रीत कुमार (वादी)</p> <p>अर्चना (वादी)</p> <p>वकील वादी</p> 